राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षक

पवन सिन्हा*

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिस दृष्टि से बच्चों और युवाओं की शिक्षा को 'देखती' है, वह अद्वितीय और अद्भुत है। 'देखने' की यह अद्वितीयता शिक्षक से भी 'अद्वितीय और अद्भुत' होने की अपेक्षा करती है और यह घोषणा करती है कि स्वयं शिक्षकों की शिक्षा को 'देखा' जाना चाहिए। इतना ही नहीं, उनके सतत पेशेवर विकास के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए, जिससे वे बदलते समय' की 'बदलती ज़रूरतों' के सहपथिक बन सकें। यह लेख शिक्षा के संदर्भ में शिक्षकों की महती भूमिका की चर्चा करता है और शिक्षक शिक्षा के नए आयाम उद्घाटित करता है।

प्रस्तावना

नि:संदेह शिक्षा मनुष्य को गढ़ती है और उसे आकार देती है। उस 'गढ़न' और 'आकार' का केंद्र स्वयं मनुष्य तो है ही, साथ ही उस मनुष्य से जुड़ा समाज और राष्ट्र भी है! इस अर्थ में मनुष्य को प्राप्त होने वाली शिक्षा फलदायी तभी बन सकती है जब वह व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और दुनिया को 'कुछ' बेहतर, 'कुछ' सार्थक दे सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी शिक्षा को इसी अर्थ में परिभाषित करते हुए उसे न्यायसंगत, न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने की मूलभूत आवश्यकता के रूप में स्वीकार करती है। यही शिक्षा का शाश्वत सत्य और उसका 'प्रारब्ध' है। शिक्षा से जुड़ी समस्त अवधारणाओं में 'व्यष्टि' और 'समष्टि' जिस समभाव से अंतर्निहित है, वह न केवल शिक्षा के समस्त उद्देश्यों को पूर्ण करने में सहायक है, बल्कि स्वयं शिक्षा को भी उर्वर बनाता है। जीवन से जुड़ी शिक्षा मानव मात्र के जीवन को दिशा भी देती है और उस दिशा में अग्रसर होने की क्षमता और सामर्थ्य भी। इस अर्थ में शिक्षा और जीवन भी एक-दूसरे के पर्याय हैं और यही कारण है कि भारतीय संविधान में 'ये दोनों' एक-दूसरे के साथ अपनी 'उपस्थिति' दर्ज करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जहाँ जीवन जीने का मौलिक अधिकार देता है वहीं अनुच्छेद 21A शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है। हमारी संस्कृति हमारे इसी जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, एक के अभाव के बिना दूसरे की कल्पना भी नहीं की जा सकती और अगर ऐसा 'हो जाता है' तो यह केवल और केवल 'अराजकता' को ही आमंत्रित करता है। संस्कृतिविहीन समाज की कल्पना भी संभव नहीं है। और अगर यह संभव नहीं है तो फिर सवाल उठता है

**एसोसिएट प्रोफ़ेसर*, मोतीलाल नेहरू कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 110 021

© NCERT not to be republished

कि समाज को 'संस्कृत' करने का कार्य किसका है और यह कार्य कैसे संभव होगा? इस प्रश्न का एक ही उत्तर है —शिक्षा! लेकिन कौन-सी शिक्षा? वह शिक्षा जो स्कूल की चहारदीवारी के भीतर 'कैद' है या वह शिक्षा जो अनवरत जारी रहती है! दरअसल 'शिक्षा' और 'स्कूलिंग' दो अलग अवधारणाएँ हैं। 'शिक्षा' एक बृहत संकल्पना है और 'स्कूलिंग' संकीर्ण संकल्पना! पहली जीवन को विस्तार देती है तो दूसरी जीवन को स्कूल की चहारदीवारी से बाँधती है। जीवनपर्यंत सीखने के संदर्भ में शिक्षा अपने दूसरे अर्थ के साथ ही स्वयं को अधिक सहज अनुभूत करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिस दृष्टि से बच्चों और युवाओं की शिक्षा को 'देखती' है, वह अद्वितीय और अद्भुत है। भारत की भूमि, सांस्कृतिक विरासत, भाषा, कला, इतिहास और संविधान के 'विधान' से आबद्ध समानता, समता, समावेशन और गतिशीलता को ही पोषित करती है। वस्तुत: ये सभी ऐसे निर्धारक तत्व हैं जिनकी उपस्थिति से किसी भी राष्ट्र की शिक्षा नीति उत्कृष्ट समाज, राष्ट्र का निर्माण करने में सक्षम हो पाती है! यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिन मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है, वे सभी समवेत भाव से बच्चों और बच्चों की 'दुनिया' तथा उनके समाज-सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य पर ही केंद्रित है! बच्चों की विशिष्ट क्षमताओं की पहचान, स्वीकृति और संवर्धन करना, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सुनिश्चित करना, विभिन्न विषयों और धाराओं में कोई स्पष्ट अलगाव न होना, बहु-विषयक और समग्र शिक्षा का विकास, अवधारणात्मक समझ पर बल देना, रचनात्मक, तार्किक सोच, जीवन कौशल, नैतिकता, संवैधानिक मूल्यों को प्रोत्साहन देना, तकनीकी के उपयोग को बढ़ावा देना, भारत की विविधता को स्वीकार करते हुए, उसका उत्सव मानते हुए निरंतर सीखने पर बल देना, बहुभाषिकता, अखंड, पारदर्शी और संसाधन कुशल प्रणाली तथा उत्कृष्ट स्तर के शोध को बढ़ावा देना, भारतीय जड़ों और गौरव से जुड़े रहना आदि ऐसी विशेषताएँ हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 'उत्सवधर्मी' और 'भारतीय' स्वरूप को प्रतिबिम्बित करती हैं! भारत की शिक्षा नीति को ऐसा ही होना चाहिए— भारतीयता से 'पगी' नीति ही भारत को वैश्विक पटल पर सम्मानजनक स्थान पर अवस्थित कर सकती है।

वस्तुत: शिक्षा और राष्ट्र की संकल्पना एक-दूसरे के साथ इस तरह से संयोजित है कि दोनों एक-दूसरे के आधार और सार्थकता को निर्धारित करते हैं। इस अर्थ में शिक्षा समाज के एक बृहत्तर रूप में 'राष्ट्र' को पोषित करती है तो दूसरी ओर राष्ट्र 'शिक्षा' के स्वरूप का सृजन करता है और उसे पोषित करता है। दोनों के बीच 'सृजन' और 'पोषण' का संबंध तो है ही, इसमें कोई मतभेद हो ही नहीं सकता। यह भी समझना आवश्यक है कि किसी राष्ट्र का अर्थ उसकी भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं होता, वह उससे 'ऊपर' की अवधारणा है। राष्ट्र का अर्थ और उसके स्वयं के अस्तित्व का संबंध उसके नागरिकों के साथ जुड़ा हुआ है, यही कारण है कि राष्ट्र में उसके नागरिक सर्वोपरि हैं। अगर ऐसा है तो फिर नागरिक के होने का क्या अर्थ है? नागरिक होने का अर्थ और दायित्व है कि वे राष्ट्र में शांति और उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकें। राष्ट्र में शांति

© NCERT not to be republished

का अर्थ 'अशांति का न होना नहीं है' बल्कि शांति का अर्थ है— एक तरह की समरसता, सामंजस्य और तालमेल। जहाँ वैयक्तिक हित तिरोहित हो जाते हैं और समष्टि का हित ही सर्वोपरि होता है। राष्ट्र-निर्माण में यही समरसता, सामंजस्य और समष्टि अपेक्षित है। राष्ट्र-निर्माण में कुछ ऐसा करने या होने का भाव अंतर्निहित है कि राष्ट्र को मज़बूत और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपने विज़न का स्पष्ट उल्लेख करते हुए कहती है कि इस राष्ट्रीय शिक्षा का विज़न भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराकर और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्यायसंगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। नीति में परिकल्पित है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि विद्यार्थियों में अपने मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न करे। नीति का विज़न विद्यार्थियों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में, बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी और साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए...!

शिक्षा समाज से जुड़ी अवधारणा है। शिक्षा और समाज एक-दूसरे को आकार ज़रूर देते हैं और एक-दूसरे के 'संवेगों और आवश्यकताओं' का खयाल भी रखते हैं। वस्तुत: शिक्षा समाज के भीतर की 'वस्तु' है। समाज से इतर होकर उसकी स्वयं की पहचान और अस्मिता— दोनों ही खतरे में पड़ जाते हैं। जब हम समाज की बाते करते हैं तो उसका व्यापक दायरा राष्ट्र, देश तक जाता है। देश के विप्लव का एक बड़ा कारण शिक्षा है। अगर शिक्षा विप्लव का कारण है तो सृजन का, उन्नति का भी कारण होगा।

शिक्षा का लक्ष्य भले ही 'स्वयं की पूर्णता' हो लेकिन उस पूर्णता का लक्ष्य 'राष्ट्र-निर्माण' है। व्यष्टि से समष्टि की यात्रा ही शिक्षा की यात्रा है, सीखने-सिखाने की यात्रा है। हमें शिक्षा की ऐसी रूपरेखा बनाने की ज़रूरत है कि बच्चे स्वयं को तो समझ ही सकें, राष्ट्र को भी समझ सकें और उसके निर्माण, उसके अस्तित्व के लिए सार्थक और ठोस कार्य कर सकें। यह कैसे संभव होगा? यह तब संभव होगा। जब पूरे राष्ट्र में शिक्षा का एक लक्ष्य होगा। एक लक्ष्य के लिए समान पाठ्यक्रम की अवधारणा का होना ज़रूरी है। शिक्षा नागरिकों में विचार, तर्क, समस्या-समाधान, विश्लेषणपरक दृष्टि, आलोचनात्मक चिंतन और तद्नुभूति आदि कौशल के विकास का कार्य करती है। यह तार्किक बुद्धि परस्पर वैमनस्य को समाप्त करती है। किसी राष्ट्र की उन्नति भी तभी संभव है जब हमारी पूरी ऊर्जा उसके निर्माण में लगे, न कि आपसी तकरारों को सुलझाने में।

शिक्षा संस्कार देती है और संस्कार में आत्मीयता है, सलीका है और एक विशिष्ट प्रकार की आत्म-चेतना है जो कुछ 'गलत करने या होने' नहीं देती। शिक्षाशास्त्र ऐसी पद्धति का प्रयोग करता है कि जो बच्चों को एक बेहतर नागरिक बनने में, चीज़ों, घटनाओं को हर कोण से देखने में और उचित निर्णय लेने में मदद करती है, क्योंकि जीवन के कुछ संदर्भ ऐसे होते हैं जहाँ 'गलती से भी गलती करने' की

© NCERT not to be republished

गुंजाइश नहीं होती। राष्ट्र का जीवन भी ऐसा ही होता है और हमारा स्वयं का जीवन भी राष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ है। इस अर्थ में राष्ट्र का निर्माण... स्वयं का निर्माण है। स्वयं को समझने के लिए स्वयं के भीतर उतरना होगा... ताकि राष्ट्र के भीतर निर्माण के बीज प्रस्फुटित किए जा सकें। शिक्षा का दायित्व उस प्रस्फुटन को पुष्पित-पल्लवित करना है।

यद्यपि 'शिक्षा' का व्युत्पत्तिपरक अर्थ 'सीखने' से है। इस अर्थ में शिक्षा सीखने-सिखाने की प्रक्रिया से जुड़ी हुई अवधारणा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सीखने की प्रक्रिया पर बहुत अधिक बल देती है। वह इस बात पर तो बल देती ही है कि जो कुछ सिखाया जा रहा है, बच्चे उसे तो सीखें ही, साथ ही वे सतत सीखते रहने की कला भी सीखें। इसका अर्थ है कि हम बच्चे को सब कुछ नहीं सिखा सकते, लेकिन अगर यह सिखा दें कि सीखा कैसे जाता है तो बच्चे स्वयं ही सीखने की कला में पारंगत हो जाएँगे और सतत रूप से सीखने की दिशा में प्रवृत्त भी होंगे। शिक्षा का यह जो रूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दृष्टिगत होता है, वह इस ओर संकेत करता है कि बच्चे तार्किक चिंतन, रचनात्मक चिंतन, समस्या-समाधान और निर्णय लेने की क्षमताओं का विकास करें। वे सीखने के विभिन्न तौर-तरीकों को भी सीखें। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे खोज करें, संवाद करें, अनुभवों से सीखें और पर्याप्त लचीलापन भी रखें। स्वामी विवेकानन्द के अनुसार, 'शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। मानव में शक्तियाँ जन्म से ही विद्यमान रहती हैं। शिक्षा उन्हीं शक्तियों या गुणों का विकास करती है। पूर्णता बाहर से नहीं आती वरन् मनुष्य के भीतर छिपी रहती है। सभी प्रकार का ज्ञान मनुष्य की आत्मा में निहित रहता है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत अपने प्रतिपादन के लिए न्यूटन की खोज की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। वह न्यूटन के मस्तिष्क में पहले से ही विद्यमान था। जब समय आया तो न्यूटन ने केवल उसकी खोज की। विश्व का असीम ज्ञान-भंडार मानव मन में निहित है, बाहरी संसार केवल एक प्रेरक मात्र है, जो अपने ही मन का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है।' (शिक्षा, 1956, पृष्ठ 6) खोज और असीम ज्ञान भंडार से पूरित मन को समझना सीखने और शिक्षा का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। सीखने के ये तौर-तरीके हर वर्ग के बच्चे, उसके परिप्रेक्ष्य, उसके भौगोलिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार आत्मसात किए जा सकते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो है ही, साथ ही समाज, संस्कृति की जड़ों से गहराई से जुड़ी हुई है।

यह सत्य है कि शिक्षा और उसका शास्त्र यानी सदैव ही चिंतन के केंद्र बिंदु रहे हैं और उन्होंने अपने-अपने समाज को जिस तरह से आकार दिया है, जिस तरह से गढ़ा है, वह उसका प्रकार्यात्मक पक्ष है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा का यह प्रकार्यात्मक पक्ष उभरकर आया है। वैसे भी शिक्षा और उसका समाज भी निरंतर शिक्षा चिंतन को प्रभावित करते रहे हैं। परस्पर एक-दूसरे की सहायतार्थ सदैव तत्पर और अनुगामी हैं। दरअसल, 'शिक्षाशास्त्र' का अर्थ है— शिक्षा का शास्त्र यानी सीखने-सीखने का शास्त्र! 'शिक्षाशास्त्र' की अवधारणात्मक समझ बहुत व्यापक है। जब सीखने-सिखाने की बात उठती है तो फिर सीखने वाले यानी बच्चे के साथ उसका परिवार, उसका पड़ोस, उसका समाज, उसका विद्यालय, उसके शिक्षक और उसके साथी— सभी महत्वपूर्ण हैं। इसका अर्थ यह है कि शिक्षा एक साझी ज़िम्मेदारी है और इसमें वह

© NCERT not to be republished

हर व्यक्ति शामिल है जो बच्चों से, उनकी शिक्षा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ यह भी हुआ कि अगर शिक्षा 'स्कूलिंग' नहीं है तो फिर शिक्षाशास्त्र की ज़िम्मेदारी उन सब पर भी है जो 'स्कूल' से जुड़े हुए नहीं हैं, यानी माता-पिता, परिवार, समाज, दोस्त आदि।

शिक्षा की इस साझी ज़िम्मेदारी में शिक्षक की महती भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी स्पष्टत: शिक्षा व्यवस्था में किए जा रहे बुनियादी बदलावों के केंद्र में शिक्षकों को रखती है और प्रत्येक स्तर के शिक्षकों को समाज के सर्वाधिक सम्माननीय और अनिवार्य सदस्य के रूप में पुनर्स्थापित करने के लिए आग्रह करती है, क्योंकि शिक्षक ही बच्चों को सही मायनों में आकार देते हैं। शिक्षकों को हर तरह से सक्षम बनाने की भावना से ओत-प्रोत यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षण में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों के चयन की अनुशंसा करती है, शिक्षकों की आजीविका, सम्मान, मान-मर्यादा और स्वायत्तता को सुनिश्चित करने की बात करती है। 'शिक्षक वास्तव में बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं, अत: हमारे राष्ट्र के भविष्य का भी निर्माण करते हैं।' इस संदर्भ में यह स्वत: ही स्पष्ट है कि इतना बड़ा दायित्व किसी ऐसे व्यक्ति को ही दिया जाएगा जो इसका 'हकदार' हो, जिसमें ऐसे गुण और हुनर हों जो अपने तेज, अपने ओज से बच्चों को, समाज को, राष्ट्र को दिशा दे सके।

शिक्षक और समाज— राष्ट्रीय शिक्षक आयोग I (1983–85)

यह समिति चट्टोपाध्याय समिति के नाम से भी जानी जाती है। इसमें शिक्षक को केंद्र में रखते हुए देश की शिक्षा प्रणाली के प्रमुख पहलुओं पर विचार किया गया है तथा शिक्षा और समाज के विकास में शिक्षक की भूमिका को निर्णायक किस्म का स्वीकार किया गया है। आयोग में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि राष्ट्र को शिक्षक के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हो जाना चाहिए और समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ानी चाहिए। इसके बदले शिक्षक को स्वयं को अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित कर देना चाहिए और अपनी व्यावसायिक योग्यता और वृत्ति में सुधार लाना चाहिए। शिक्षक को प्रतिष्ठा प्रदान करने के उपाय किए जाने चाहिए जो उसके लिए ज़रूरी हैं और जिसे पाने का उसे अधिकार है ताकि वह उच्चतम संभाव्य स्तर तक अपने कार्य का निष्पादन कर सके।... शिक्षक को अपनी भूमिका बहुत तन्मयता से निभानी होगी। उसका प्रमुख कार्य चरित्र का निर्माण होगा, एक ऐसा चरित्र जिससे राष्ट्रीय लक्ष्य पूरा हो। नि:संदेह वह परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को तैयार करेगा और उन्हें ज्ञान के संसार में ले जाएगा। परंतु इसका महत्व तब तक कुछ नहीं है, जब तक वह उन्हें चरित्रवान न बनाए।... शिक्षक को विद्यार्थी में उसकी योग्यताओं और गुणों की खोज, विकास और नियंत्रण करने में सहायक होना चाहिए।... शिक्षक को बच्चों के सामने समुचित चुनौतियाँ रखनी चाहिए और वैयक्तिक संपर्क के द्वारा उन्हें मार्गदर्शन देकर यह अनवरत प्रयास करना चाहिए कि वे अपना कार्य पूरी योग्यता से कर सकें।... शिक्षक का मुख्य कार्य मानव का निर्माण है, आने वाले कल के भारतीय का निर्माण का! (राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, पृष्ठ 7–10) यह आयोग, शिक्षकों के सामाजिक स्तर को ऊँचा करने के पक्ष में था ताकि योग्य व्यक्ति शिक्षण कार्य के प्रति आकर्षित हो सकें!

© NCERT not to be republished

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी शिक्षकों के लिए उच्चतर दर्जा और उनके प्रति आदर तथा सम्मान के भाव को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा करती है ताकि शिक्षण व्यवसाय में बेहतर लोगों को शामिल किया जा सके। नीति इस बात की गहराई से सर्वथा परिचित है कि मानव निर्माण का कार्य शिक्षा के माध्यम से ही संभव है और इस शिक्षा का केंद्र बिंदु है— शिक्षक! अत: स्वयं शिक्षक का सशक्त और सामर्थ्यवान होना आवश्यक है। हम बच्चों में जिन गुणों को देखना चाहते हैं, वे गुण एक शिक्षक में भी अपेक्षित हैं, तभी वे बच्चों को प्रभावित कर सकेंगे। इस रूप में शिक्षक की ज़िम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है कि वे निरंतर स्वयं का भी विकास करें और अपनी व्यावसायिक कुशलता का भी!

शिक्षकों की भर्ती और पदस्थापन

यह नीति शिक्षकों से जुड़े एक और महत्वपूर्ण पक्ष पर बल देती है जो कहीं न कहीं बच्चों के साथ निकटता से जुड़ा है और वह है— ग्रामीण क्षेत्र से उत्कृष्ट विद्यार्थियों को शिक्षक बनने या शिक्षण के लिए आकर्षित करना। इसमें चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिए वरीयता आधारित छात्रवृत्ति को स्थापित करना और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान करना शामिल है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले बच्चों को न केवल उनकी स्थानीय भाषा में बातचीत करने वाले, पढ़ाने वाले शिक्षक मिल सकेंगे, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार के अवसर भी जुट सकेंगे। स्कूल परिसर या आस-पास उन्हें आवास भी मिल जाएगा। यह एक चिंता का विषय है कि अकसर दूर-दराज़ के क्षेत्रों में पढ़ने वाले बच्चों और उनके स्कूलों को पर्याप्त संख्या में शिक्षक नहीं मिल पाते, क्योंकि उस क्षेत्र में जीवन की बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव रहता है और शहर से संपर्क की लंबी दूरी भी एक मुख्य कारण है। इस प्रावधान से उत्कृष्ट शिक्षक तैयार हो सकेंगे जो स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हैं। जब बच्चों की भाषा और शिक्षक की भाषा समान होती है तो परस्पर संवाद के दायरे खुलते हैं, विस्तृत होते हैं और बच्चे सार्थक रूप से कक्षायी प्रक्रियाओं में शामिल हो सकते हैं। संवाद किसी भी शैक्षिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षक अपने क्षेत्र में अन्य व्यक्तियों के लिए रोल मॉडल बन सकेंगे और निकट भविष्य में इन ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी को पूरा किया जा सकेगा।

शिक्षकों की रिक्तियों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनेक नई पहलें लेकर आई है। विषयवार शिक्षकों की रिक्तियों का आकलन करना और उन्हें पूरा करना इन पहलों में से एक है। साथ ही शिक्षकों के अत्यधिक स्थानांतरण पर रोक भी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि नीति स्थानांतरण पर एकदम प्रतिबंध लगा रही है, बल्कि एक निर्धारित तरीके से विशेष परिस्थितियों में ही स्थानांतरण करने की बात करती है। इससे दोहरा लाभ होगा! एक, शिक्षक और समुदाय के बीच आत्मीय संबंध बना रहेगा, शिक्षक अपने समुदाय से जुड़े रहेंगे और विद्यार्थियों को शैक्षिक वातावरण और मॉडल के रूप में शिक्षक मिल सकेंगे। इतना ही नहीं यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) सामग्री और शिक्षाशास्त्र दोनों के संदर्भ में परीक्षण सामग्री को बेहतर बनाने पर बल देती है। शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया में अपने पढ़ाने का प्रदर्शन करना, स्थानीय या घरेलू भाषा में साक्षात्कार,

© NCERT not to be republished

स्थानीय भाषा के ज्ञान का आकलन किया जाएगा। इससे स्थानीय भाषा वाले बेहतर शिक्षक मिल सकेंगे।

सेवाकाल के दौरान कार्य-संस्कृति और वातावरण

कार्य की संस्कृति का विकास करना, कार्य की गुणवत्ता को बढ़ाता है और साथ ही एक ऐसे परिवेश का निर्माण करता है जिससे स्वतः ही कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। अकसर शिक्षकों की यह शिकायत रहती है कि उन्हें जनगणना, चुनाव संबंधी कार्यों आदि गैर शैक्षणिक कार्यों में भी अपना बहुमूल्य समय देना पड़ता है। जबकि वह समय बच्चों के हिस्से का है, उन्हें पढ़ाने का है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कुछ जटिल प्रशासनिक कार्य और मध्याह्न भोजन के अतिरिक्त उन सभी कार्यों को करने की अनुमति नहीं देती जो सीधे तौर पर शिक्षण से संबंधित नहीं हैं। इससे शिक्षक अधिक से अधिक समय बच्चों के साथ, अध्यापन में व्यतीत कर सकेंगे। यह एक सराहनीय कदम है। विविधता वाले भारत देश में शिक्षकों को यह स्वायत्तता देना कि वे अपने समाज-सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य और बच्चो की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम और शिक्षण की पद्धतियों का चयन कर सकें— प्रशंसनीय है! यह प्रावधान न केवल शिक्षक की योग्यता में विश्वास व्यक्त करता है, बल्कि विद्यार्थियों को भी बेहतर तरीके से सीखने में मदद करता है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और सीखने के प्रतिफल में वृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक अपनी पद्धति का स्वयं ही निर्माण और निर्धारण कर सकें, स्कूल में बुनियादी या आधारभूत संरचना की सुविधाओं को मुहैया कराने की चर्चा करती यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति हर लिहाज़ से एक बेहतर और प्रेरणादायक वातावरण के निर्माण को सुनिश्चित करने पर बल देती है। फिर चाहे वह पीने का साफ़ पानी हो, शौचालय हो, आकर्षक स्थान, बिजली, पुस्तकालय, इंटरनेट, खेल और मनोरंजन की सामग्री हो! यह सत्य है कि शिक्षा की गुणवत्ता में एक महत्वपूर्ण पक्ष बुनियादी सुविधाओं के उपलब्ध होने का है। इसके लिए प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध और लीडरशिप गुण, समावेशी परिवेश आदि की ज़रूरत है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस सत्य से भली-भाँति परिचित है।

सतत व्यावसायिक विकास

सीखना निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। सीखने से जुड़ी यह बुनियादी अवधारणा जितनी बच्चों के संदर्भ में सत्य है, उतना ही यह अवधारणा शिक्षकों के संदर्भ में भी सटीक है। शिक्षकों की व्यावसायिक वृत्ति के विकास के लिए विभिन्न माध्यमों के प्रयोग की चर्चा करती है और उससे जुड़ी समस्त सुविधाएँ जुटाने की बात करती है। ऑनलाइन माध्यम और विभिन्न प्रकार के प्लेटफ़ार्म (ऑनलाइन या वेब) को मुहैया कराने, स्वेच्छा से प्रत्येक वर्ष लगभग 50 घंटों के सतत व्यावसायिक विकास के कार्यक्रमों में शामिल होने और नवाचार से परिचित होने के अवसर प्रदान करती है, उदाहरण के लिए, बुनियादी साक्षरता, संख्या बोध, आकलन, अनुभवात्मक शिक्षण, कला समेकित सीखना, कहानी को एक उपकरण के रूप में प्रयोग में लाना, अनुभवात्मक शिक्षण आदि। इतना ही नहीं स्कूल के प्रधानाचार्या भी लीडरशिप या मैनेजमेंट की कार्यशालाएँ आदि में लगभग 50 घंटों के लिए शामिल होंगे। सतत व्यावसायिक विकास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इसमें शिक्षक और प्रधानाचार्य के क्षमता संवर्धन पर पूरा ध्यान दिया जाएगा ताकि वे

© NCERT not to be republished

अपनी-अपनी समस्याओं का व्यावहारिक समाधान जुटा सकें।

विशिष्ट शिक्षक

प्रत्येक बच्चे की कुछ विशिष्ट आवश्यकताएँ और विशिष्टताएँ होती हैं। शिक्षा का स्वरूप प्रत्येक शिक्षक से यह माँग करता है कि वे सभी बच्चों की इन विशिष्ट आवश्यकताओं और विशिष्टताओं को ठीक से समझ लें और उन्हें सीखने के पर्याप्त अवसर मुहैया कराएँ। कक्षा के दिव्यांग बच्चों को सीखने में जिस तरह की दिक्कतें आती हैं, उनका समाधान करने के लिए पूर्णकालिक या अंशकालिक विशेष शिक्षकों को विद्यालय में स्थान दिया जाएगा। हालाँकि, एक प्रभावी शिक्षक एक कुशल भी होता है, अगर वे चाहें तो इस विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अपनी योग्यता बढ़ा सकते हैं।

शिक्षक शिक्षा

बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में शिक्षक का एक महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षक की ज़िम्मेदारी केवल विषय पढ़ाना ही नहीं है, बल्कि वह तो बच्चे के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करता है। अगर अतीत की ओर नज़र घुमाकर देखें तो समझ में आता है कि गुरुकुल व्यवस्था में गुरु का काम केवल विषय की शिक्षा देना, धनुर्विद्या की कुशलता का विकास करना ही नहीं था, राज करने की नीति या सुशासन करने की नीति सिखाना ही नहीं था, बल्कि गुरु अपने शिष्यों के साथ घूमते हुए अनेक तरह की जानकारी और ज्ञान का सृजन करते थे। संवाद करते-करते वे शिष्यों की शंका, जिज्ञासाओं और उत्कंठाओं का निवारण करते थे। लेकिन अब क्या हुआ? क्या हुआ ऐसा कि सारा दृश्य बदल गया। हम अकसर सारा दोष मैकाले के 'सिर मढ़ देते हैं'। उसने जो किया सो किया, लेकिन सवाल उठता है कि हमने क्या किया? अब तो मैकाले नहीं है। क्या हम अपने बच्चों की शिक्षा के लिए हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? नहीं, बिलकुल भी नहीं! यदि हम बच्चों की शिक्षा को उत्कृष्टता प्रदान करना चाहते हैं तो उनके शिक्षकों को भी उत्कृष्टता प्रदान करनी होगी, उनका सम्मान करना होगा और उन्हें स्वायत्तता प्रदान करनी होगी। शिक्षकों को भी स्वयं को निरंतर अद्यतित करना होगा और अपने भीतर कुशलताएँ अर्जित करनी होंगी!

राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षकों की तैयारी के लिए चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. कार्यक्रम की अनुशंसा करती है। इसमें दो वर्षीय बी.एड. का भी प्रावधान (उनके लिए जो किसी विषय में स्नातक या परा-स्नातक डिग्री प्राप्त हैं) है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति मुक्त दूरस्थ शिक्षा को भी स्वीकार करती है। शिक्षक की तैयारी ऐसी हो कि वे शिक्षा की अवधारणा, शिक्षाशास्त्र को बेहतर रूप में समझ लें और अपनी अध्यापन कुशलता का निरंतर विकास करते रहें। आधुनिक तकनीक का भी प्रयोग कर सकें और अभावों में भी सार्थक रूप से शिक्षण कर सकें। स्थानीय कला, हुनर, व्यवसाय जैसे— बढ़ईगिरी, काश्तकारी, लोक कला, चित्रकारी आदि के लघु अवधि के पाठ्यक्रमों का भी प्रावधान करने पर भी बल देती है। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षक-शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़ी हुई है और हमेशा ही प्रभावित करती है। अत: यह बहुत ज़रूरी है कि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के घटिया प्रदर्शन पर 'लगाम कसी जाए', इससे शिक्षा के प्रति गंभीर दृष्टिकोण उत्पन्न हो सकेगा और शिक्षकों को बेहतर तैयारी का अवसर मिल सकेगा। एक अच्छा शिक्षक

© NCERT not to be republished

होना तपस्या है जिसके लिए संवेदनशीलता, गंभीरता और उद्देश्यपरकता होनी चाहिए। इसके लिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का उत्कृष्ट होना अपरिहार्य है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह स्वीकार करती है कि शिक्षकों को उनके 'हिस्से' का सम्मान और ऊँचा दर्जा दिया जाना चाहिए। अगर बहुत गौर से आज का परिदृश्य देखें तो यह ज्ञात होता है कि अनेक अभिभावक ऐसे हैं जो शिक्षक को कमतर आँकते हैं, शिक्षक को एक 'पेड सर्वेंट' समझते हैं और उन्हें 'दबाने की', उन पर 'हावी होने' की कोशिश करते हैं। शिक्षक के प्रति इतना संकीर्ण रवैया और इतनी नकारात्मकता न केवल बच्चों की शिक्षा के लिए खतरा है, बल्कि स्वयं शिक्षक-समाज की अस्मिता और पहचान के लिए भी गंभीर परिणाम देने वाला है। इस संकीर्ण सोच से समाज और राष्ट्र भी अछूता नहीं रहेगा। हमें शिक्षकों को सम्मान देना होगा, क्योंकि वे बच्चों को गढ़ते हैं। उनके जीवन को सही दिशा देते हैं और बच्चा अपने माता-पिता की भले ही न सुने लेकिन अपने शिक्षक की ज़रूर सुनते हैं। इस संदर्भ में यह भी आवश्यक है कि शिक्षकों को भी स्वयं अपना सम्मान बढ़ाना होगा, स्वयं को सशक्त बनाना होगा .... ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसे 'कुछ न मिला', जो 'कुछ न बन पाया' वह 'शिक्षक बन गया'! शिक्षकों को अपनी शिक्षा पर ध्यान देना होगा और स्वयं भी निरंतर अध्ययन करते रहना होगा। स्वयं ही सोचिए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शिक्षक एक ही विषय को पिछले पाँच वर्षों से पढ़ा रहे हैं और उन्होंने अपने पढ़ाने की पद्धति, विषय-वस्तु, उपकरणों और उदाहरणों में कभी किसी भी तरह का कोई बदलाव न किया हो? कैसे हो सकता है कि शिक्षक बच्चों को स्वाध्याय के लिए प्रेरित करते हैं, पठन की संस्कृति में ढलने के लिए कहते हैं और उन्होंने स्वयं न तो कभी कोई पुस्तक खरीदी, न पढ़ी और न ही उनका अपना पुस्तकालय है। पद्धति, विषय-वस्तु, उपकरण और उदाहरण की बात इस ओर संकेत करती है कि भले ही हम विषय को पाँच वर्षों से पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चे तो समान नहीं हैं और न ही समय और वातावरण समान है। जब ये कुछ भी समान नहीं है तो हमारे 'समान ढर्रे वाला' शिक्षण क्यों हो? इन सभी मुद्दों को संबोधित करती नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी शिक्षकों के बारे में अनेक तरह की अनुशंसाएँ प्रस्तुत करती है, शिक्षक को शिक्षा का केंद्र मानते हुए उसकी गरिमा का संरक्षण करती है और शिक्षक-शिक्षा में कड़े मानदंड अपनाने का समर्थन करती है। स्वयं शिक्षकों को अपनी गरिमा का भान और संज्ञान करना होगा, आखिर बच्चों के जीवन और देश, समाज के 'जीवन' को गढ़ने में उनके योगदान से इनकार किया ही नहीं जा सकता।

अंत में, नई शिक्षा नीति 2020 भारत उन्मुखी है और भारत की उत्कृष्ट विरासत तथा परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए कटिबद्ध है।

संदर्भ

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2019. राष्ट्रीय शिक्षा नीति— मसौदा 2019. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार.

विवेकानन्द, स्वामी. 1965. *शिक्षा*. श्रीरामकृष्ण आश्रम, नागपुर, मध्यप्रदेश.

शिक्षा मंत्रालय. 2020. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. भारत सरकार.

© NCERT not to be republished